

पत्र संख्या : 7/यो.-कोर्ट केश-26/2018 (खण्ड संचिका)230

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

अरुण कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, राँची;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक : 10/01/2020

विषय :- वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान जल संसाधन विभाग के जलपथ प्रमंडल सं.-1, चैनपुर शिविर गुमला अन्तर्गत Arbitration Application 12/2011 of Spill Channel from 400m to 800m under Upper Shankh Reservoir Scheme (एकरारनामा सं.-03F2/2002-03, दिनांक 21.11.2002) के Award पर Negotiation के पश्चात् M/S Vijeta Project & Infrastructure Ltd. Ranchi को भुगतने हेतु आवंटनादेश सं.-175, दिनांक 06.12.2019 द्वारा निर्गत रु. 43.00 लाख (रु. तैतालीस लाख मात्र) रुपये राशि का प्रत्यार्पण स्वीकृत करने के संबंध में।

प्रसंग :- प्रशासनिक स्वीकृतिदेश संख्या-46/06-07, प्र०स्वी०, दिनांक-30.03.2017 (Online AA-1887/03.12.19) एवं आवंटनादेश सं.-175, दिनांक 06.12.2019

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजी परिव्यय के अंतर्गत निम्नवत् दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय से प्रत्यार्पण स्वीकृत किया जाता है:- (लाख रु. में)

क्र.	मॉग संख्या/ मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	वित्तीय वर्ष 2019-20 का संशोधित बजट उपबंध	निर्गत आवंटन	प्रत्यार्पित राशि	प्रत्यार्पण के उपरांत अवशेष उपबंध
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	49-जल संसाधन विभाग/ 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय/ 80-सामान्य	796-जन-जातीय क्षेत्र उपयोजना/ 74-मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत वर्ष 2011-12 में पूर्ण किये जाने वाले योजनाओं का अवशेष कार्य एवं दायित्व,	05-निर्माण, 45 मुख्य निर्माण कार्य, 49S470180796740545	970.00	809.83	43.00	203.17

प्रत्यार्पित राशि - ₹ तैतालीस लाख मात्र।

2. उपर्युक्त प्रत्यार्पण स्वीकृत की जा रही राशि की विवरणी निम्नवत् है:-

(राशि लाख रु. में)

क्र.	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति	मार्च 2019 तक व्यय	वित्तीय वर्ष 2019-20 में			On-line Allocation Access No
						पूर्व का आवंटन	प्रत्यार्पित राशि	संशोधित कुल आवंटन	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
1.	जलपथ प्रमंडल सं.-1, चैनपुर शिविर गुमला (GMLIRR004)	राँची	अपर शंख जलाशय योजना	14119.00	15158.00	43.00	43.00	0.00	76315
योग						43.00	43.00	0.00	

(अरुण कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :-

राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. - हिनू, राँची/कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा/राँची/चैनपुर/गुमला सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
संयुक्त सचिव

(अरुण कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापक :-

230

राँची, दिनांक :-

10/01/2020


प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग/विकास आयुक्त/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) राँची/अभियंता प्रमुख -I एवं II जल संसाधन विभाग/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.) जल संसाधन विभाग/प्रशाखा-7/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)



(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
संयुक्त सचिव


10.1.20
(अरूण कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव